Need to review complaint redressal mechanism in government departments and to implement court orders ? Laid

श्री राजीव राय **(**घोसी**) :** यह दु:खद है कि सरकारी कर्मचारी अक्सर न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं, क्योंकि सरकारी विभागों में मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र अत्यधिक असंतोषजनक और अपर्याप्त है । यह और भी विडंबनापूर्ण है कि जब कोई कर्मचारी कोर्ट जाता है और उसके पक्ष में आदेश प्राप्त करता है, तो वही आदेश उसी विभाग में अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया जाता । इसके परिणामस्वरूप, अन्य कर्मचारियों को भी न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है । इससे न केवल कर्मचारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है, बल्कि ऐसे मामलों की संख्या भी बढ़ जाती है जो बचाए जा सकते थे ।

इसका एक ताज़ा उदाहरण मुझे हाल ही में "सीमा सुरक्षा बल" (SSB) के एक मामले में देखने को मिला, जहाँ Writ Petition No. WP/Civil/3549/2018 में एक कर्मचारी के पक्ष में कोर्ट से आदेश प्राप्त हुआ था और उस आदेश को सरकार ने उसी कर्मचारी के मामले में लागू किया, लेकिन उसी संगठन में समान स्थिति वाले अन्य कर्मचारियों के लिए इसे लागू नहीं किया गया । इसी तरह, पेंशन नियमों में कुछ संशोधनों को लागू करने के लिए कई बार कोर्ट में न्याय की आवश्यकता पड़ी, ताकि 2004 के बाद सरकारी पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जा सके । इसी प्रकार, कई सेवानिवृत्त पेंशनर्स को जून में सेवानिवृत्त होने पर अपनी पेंशन में काल्पनिक वृद्धि के लाभ के लिए कोर्ट में भागना पड़ा । अब फिर से मुझे बताया गया है कि कई पेंशनर्स को अपनी पेंशन के कम्युटेशन के कार्यकाल को कम करने के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता पड़ रही है ।

यह अत्यंत दुखद है कि हमारे कर्मचारी अक्सर ऐसे मामलों में सरकार के खिलाफ कोर्ट में होते हैं, जिनका समाधान सौहार्दपूर्वक और वास्तविक शिकायतों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता था । इससे न केवल इन कर्मचारियों/पेंशनर्स पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है, बल्कि यह न्यायपालिका पर भी ऐसे मामलों का बोझ बढ़ा देता है, जिन्हें रोका जा सकता था ।

मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वे अपने शिकायत निवारण तंत्र को पुनः समीक्षा करें और इसे अधिक प्रभावी बनाएं, ताकि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स को अपनी सही और उचित मांगों को लेकर कोर्ट का रुख न करना पड़े । इसके अलावा, कोर्ट के निर्णय के मामले में सरकार को चाहिए कि वह उसे समान रूप से सभी समान स्थिति वाले कर्मचारियों या पेंशनर्स पर लागू करें, बजाय इसके कि उन्हें फिर से न्याय के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़े, जबकि पहले ही किसी विशेष मामले में कोर्ट ने आदेश पारित किया है ।